21/7/25 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। दावा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner